प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

टॉप-10 सहित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 04 अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 04.06.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

दिये गये निर्देश के क्रम में थाना नैमिषारण्य,रामकोट व महमूदाबाद की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को 04 अवैध शस्त्र व कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। **जिनमें थाना नैमिषारण्य का टॉप 10 अपराधी भी सम्मिलित है।** जिनके विरुद्ध थाना मिश्रिख व नैमिषारण्य में लूट/हत्या का प्रयास व अवैध शस्त्र जैसे अपराधों में कई अभियोग पंजीकृत है। विवरण निम्नवत् है-

- **थाना नैमिषारण्य द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित टॉप 10 गिरफ्तार:-** थाना नैमिषारण्य पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त तकदीर उर्फ विजय मिश्रा पुत्र स्व0 शिव प्रसाद निवासी ग्यावर थाना नैमिषारम्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके पास से एक अदद तमंचा व कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 154/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शातिर एवम् अभ्यस्त अपराधी है, जो लूट/हत्या का प्रयास /अवैध शस्त्र जैसे अपराधों में संलिप्त रहा है तथा टॉप-10 अपराधी भी है। जिसके विरुद्ध कई अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं।

अभियुक्त तकदीर उर्फ विजय का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 173/94 धारा 323/324/506 भादवि 3(1) SC/ST एक्ट थाना मिश्रिख सीतापुर
2. मु0अ0सं0 216/2001 धारा147/323/504/506 भादवि व 3(1)यू0पी0 गण्डा एक्ट थाना मिश्रिख सीतापुर
3. मु0अ0सं0 347/01 धारा 307/506 भादवि , 3(1) SC/ST एक्ट थाना मिश्रिख सीतापुर
4. मु0अ0सं0 247/04 धारा 394/411 भादवि थाना मिश्रिख सीतापुर
5. मु0अ0सं0 248/04 धारा 307 भादवि थाना मिश्रिख सीतापुर
6. मु0अ0सं0 249/04 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना मिश्रिख सीतापुर
7. मु0अ0सं0 74/21 धारा 25 1(B) आर्म्स एक्ट थाना नैमिषारण्य सीतापुर

8. मु0अ0सं0 154/22 धारा 25 1(B) आर्म्स एक्ट थाना नैमिषारण्य सीतापुर

- **थाना रामकोट द्वारा 02 अवैध तमंचा/कारतूस सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-** थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.मनोज पुत्र शौकीन निवासी आनंद नगर कस्बा व थाना सादलपुर जिला धार मध्य प्रदेश 2. अर्जुन नाथ पुत्र उमराव नाथ निवासी आनंद नगर थाना व कस्बा सादलपुर जिला धार मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके पास से क्रमशः दो अदद अवैध तमंचा व 02 कारतूस बरामद हुआ है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में क्रमशः मु0अ0सं0 267,268/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।
- **थाना महमूदाबाद द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 गिरफ्तारः-** थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम गोसाई कन्नापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा व कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मु0अ0सं0 241/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

कोतवाली
जनपद –